PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

Paper No-II **Paper Name- CRPC** **Unit-3**

Q1 समन मामले के विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिये |

Ans अभियोग का सारांश बताया जाना- जब समन मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब उसे उस अपराध की विशिष्टियाँ बताई जाएंगी जिसका उस पर अभियोग है, और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवाक करता है अथवा प्रतिरक्षा करना चाहता है; किन्तु यथारीति आरोप विरचित करना आवश्यक न होगा।

इस अध्याय की धारा 251 से धारा 259 में समन मामलों के लिए विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख है। व अपराध जो मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास या दो वर्ष की अवधि के कारावास से दण्डनीय न हों, समन मामले कहलाते हैं। ज्ञातव्य है कि समन मामले में विचारण का प्रारम्भ अभियुक्त व्यक्ति के अभिकथनों के अभिलेखन (recording of pleadings) से होता है। धारा 251 में यह बताया गया है कि समन मामले की दशा में जब अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हो या लाया जाए, तब उसे मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध की विशिष्टियों (particulars of the offence) से अवगत कराया जाएगा तथा उससे यह पूछा जाएगा कि क्या वह दोपी होने का अभिवाक् करता है या विचारण का दावा करता है। समन मामले में जैसे ही अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाए या हाजिर हो, वैसे ही मजिस्ट्रेट उससे उसकी दोषसिद्धि के अभिवचन के बारे में पूछेगा। यह उपबंध आज्ञापक है जिसका अनुपालन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्येक दशा में किया जाना अनिवार्य है।

यदि कोई समन मामला वारंट मामले के साथ विचारण के लिए हो, तो उस दशा में वारंट मामले की विचारण प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा तथा उस समन मामले के लिए भी आरोप विरचित किया जाएगा।

यदि अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्त का अभिवाक् यथासंभव उन्हीं शब्दों में लेखबद्ध करेगा जिनका अभियुक्त ने प्रयोग किया है और उसके आधार पर उसे स्वविवेकानुसार, दोषसिद्ध कर सकेगा।

जहाँ धारा 206 के अधीन समन जारी किया जाता है और अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है, वहाँ वह अपना अभिवाक् अन्तर्विष्ट करने वाला एक पत्र और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम डाक या संदेशवाहक द्वारा मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

(2) तब मजिस्ट्रेट, स्वविवेकानुसार, अभियुक्त को उसके दोषी होने के अभिवाक् के आधार पर उसकी अनुपस्थिति में दोषसिद्धि करेगा और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माना देने के लिए दण्डादेश देगा और अभियुक्त द्वारा भेजी गई रकम उस जुर्माने में समायोजित की जाएगी या जहाँ अभियुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत प्लीडर अभियुक्त की ओर से उसके दोषी होने का अभिवचन करता है वहाँ मजिस्ट्रेट यथासम्भव प्लीडर द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्दों में

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

अभिवाक् को लेखबद्ध करेगा और स्वविवेकानुसार उस अभियुक्त को ऐसे अभिवाक् पर दोषसिद्ध कर सकेगा और उसे यथापूर्वोक्त दण्डादेश दे सकेगा।

धारा 255 दोषमुक्ति या दोषसिद्धि - (1) यदि मजिस्ट्रेट धारा 254 में निर्दिष्ट साक्ष्य और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य, यदि कोई हो, जो वह स्वप्रेरणा से पेश करवाए लेने पर निष्कर्ष में पहुँचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो वह दोषमुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा|

(2) जहाँ मजिस्ट्रेट धारा 325 या धारा 360 के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही नहीं करता है वहाँ यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियुक्त दोषी है तो वह विधि के अनुसार उसके बारे में दण्डादेश दे सकेगा।

(3) कोई मजिस्ट्रेट, धारा 252 या धारा 255 के अधीन किसी अभियुक्त को, चाहे परिवाद या समन किसी भी प्रकार का रहा हो, इस अध्याय के अधीन विचारणीय किसी भी ऐसे अपराध के लिए, जो स्वीकृत या साबित तथ्यों से उसके द्वारा किया गया प्रतीत होता है, दोषसिद्ध कर सकता है यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि उससे अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

यदि परिवाद पर समन जारी कर दिया गया हो और अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत दिन, या उसके पश्चात्वर्ती किसी दिन, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाती है, परिवादी हाजिर नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा जब तक कि वह किन्हीं कारणों से किसी अन्य दिन के लिए मामले की सुनवाई स्थगित करना ठीक न समझे:

परन्तु जहाँ परिवादी का प्रतिनिधित्व प्लीडर द्वारा या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है या जहाँ मजिस्ट्रेट की यह राय है कि परिवादी की वैयक्तिक हाजिरी आवश्यक नहीं है वहाँ मजिस्ट्रेट उसकी हाजिरी से उसे अभिमुक्ति दे सकता है और मामले में कार्यवाही कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के उपबन्ध, जहाँ तक हो सके, उन मामलों को भी लागू होंगे, जहाँ परिवादी के हाजिर न होने का कारण उसकी मृत्यु है |

धारा 257 परिवाद को वापस लेना- यदि परिवादी किसी मामले में इस अध्याय के अधीन अन्तिम आदेश पारित किए जाने के पूर्व किसी समय मजिस्ट्रेट का समाधान कर देता है कि अभियुक्त के विरुद्ध, या जहाँ एक से अधिक अभियुक्त हैं वहाँ उन सब या उनमें से किसी के विरुद्ध उस परिवाद वापस लेने की उसे अनुज्ञा देने लिए पर्याप्त आधार हैं तो मजिस्ट्रेट उसे परिवाद वापस लेने की अनुज्ञा दे सकेगा और तब उस अभियुक्त को, जिसके विरुद्ध परिवाद इस प्रकार वापस लिया जाता है, दोषमुक्त कर देगा।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

Paper No-II **Paper Name- CRPC** **Unit-3**

Q2 "किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक परीक्षित नहीं किया जाएगा।" इस नियम को अपवाद सहित, यदि कोई हो समझाइये।

Ans **धारा 300 एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना**–(1) जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारित वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है, वह, जब तक ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है तब तक न तो उसी अपराध के लिए पुनः विचारण का भागी होगा और न उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा (1) के अधीन लगाया जा सकता था या जिसके लिए वह उसकी उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता था।

(2) किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए किसी व्यक्ति का विचारण, तत्पश्चात् राज्य सरकार की सम्मति से किसी ऐसे भिन्न अपराध के लिए किया जा सकता है जिसके लिए पूर्वगामी विचारण में उसके विरुद्ध धारा 220 की उपधारा (1) के अधीन पृथक् आरोप लगाया जा सकता था।

(3) जो व्यक्ति किसी ऐसे कार्य से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, जो ऐसे परिणाम पैदा करता है जो उस कार्य से मिलकर उस अपराध से, जिसके लिए वह सिद्धदोष हुआ, भिन्न कोई अपराध बनाते हैं, उसका ऐसे अन्तिम वर्णित अपराध के लिए तत्पश्चात् विचारण किया जा सकता है, यदि उस समय जब वह दोषसिद्ध किया गया था वे परिणाम हुए नहीं थे या उनका होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था।

(4) जो व्यक्ति किन्हीं कार्यों से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषसिद्ध किया गया है, उस पर ऐसी दोषमुक्ति या दोषसिद्धि के होने पर भी, उन्हीं कार्यों से बनने वाले और उसके द्वारा किए गए किसी अन्य अपराध के लिए तत्पश्चात् आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है, यदि वह न्यायालय, जिसके द्वारा पहले उसका विचारण किया गया था, उस अपराध के विचारण के लिए सक्षम नहीं था, जिसके लिए बाद में उस पर आरोप लगाया जाता है।

(5) धारा 258 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण उस न्यायालय की, जिसके द्वारा वह उन्मोचित किया गया था, या अन्य किसी ऐसे न्यायालय की, जिसके प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ है, सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(6) इस धारा की कोई बात साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 26 के या इस संहिता की धारा 188 के उपबन्धों पर प्रभाव न डालेगी।

स्पष्टीकरण - परिवाद का खारिज किया जाना या अभियुक्त का उन्मोचन इस धारा के प्रयोजन के लिए दोषमुक्ति नहीं है।

दृष्टान्त

(क) क का विचारण सेवक की हैसियत से चोरी करने के आरोप पर किया जाता है और वह दोषमुक्त कर दिया जाता है। जब तक दोषमुक्ति प्रवृत रहे, उस पर सेवक के रूप में चोरी के लिए या उन्हीं तथ्यों पर केवल चोरी के लिए या आपराधिक न्यासभंग के लिए बाद में आरोप नहीं लगाया जा सकता।

(ख) घोर उपहति कारित करने के लिए क का विचारण किया जाता है और वह दोषसिद्ध किया जाता है। क्षत व्यक्ति तत्पश्चात् मर जाता है। आपराधिक मानववध के लिए क का पुनः विचारण किया जा सकेगा।

(ग) ख के आपराधिक मानववध के लिए क पर सेशन न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया जाता है और वह दोषसिद्ध किया जाता है। ख की हत्या के लिए क का उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात् विचारण नहीं किया जा सकेगा।

(घ) ख को स्वेच्छा से उपहति कारित करने के लिए क पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और वह दोषसिद्ध किया जाता है। ख को स्वेच्छा से घोर उपहति कारित करने के लिए क का उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात् विचारण न किया जा सकेगा जब तक कि मामला इस धारा की उपधारा (3) के अन्दर न आए।

(ङ) ख के शरीर से सम्पत्ति की चोरी करने के लिए क पर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और वह दोषसिद्ध किया जाता है। उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात् क पर लूट का आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा।

(च) घ को लूटने के लिए क, ख और ग पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और वे दोषसिद्ध किए जाते हैं। डकैती के लिए उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात् क, ख और ग पर आरोप लगाया जा सकेगा और उनका विचारण किया जा सकेगा।

भारतीय स्थिति: - भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (2) के अधीन दोहरे खतरे के विरुद्ध संरक्षण के सिद्धान्त (doctrine of double jeopardy) को स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 20 (2) में वर्णित उपबंधों के अनुसार "किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित तथा दंडित नहीं किया जाएगा।"

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

कुलवन्त सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने विनिश्चित किया कि यदि प्रथम अभियोजन में किसी व्यक्ति को अभियोजित करने के बाद दंडित नहीं किया गया है, तो उस दशा में अनुच्छेद 20 (2) का संरक्षण प्रदान नहीं किया जा सकता है। किन्तु उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित इस अवधारणा को धारा 300 के उपबंधों के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। धारा 300 के उपबंध इस संदर्भ में पूर्ण रूप से इस स्वतंत्र व्यवस्था के समर्थक हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसे एक अपराध के लिए अभियोजित करके दंडित या दोषमुक्त कर दिया है, तो उस दंडादेश या दोषमुक्ति के प्रवृत्त रहते हुए उस व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दुबारा अभियोजित करके दंडित नहीं किया जा सकेगा।

भारत के उच्चतम न्यायालय ने अनेक वादों में यह अभिमत प्रकट किया है कि धारा 300 की व्याख्या के संदर्भ में सीमा शुल्क कलेक्टर न्यायालय नहीं है अतः उसके द्वारा किया गया अभिनिर्णयन अभियोजन नहीं कहलाएगा | उल्लेखनीय है कि धारा 300 के उपबंध केवल अभियुक्त के सिद्धदोष होने या दोषमुक्त होने की दशा में ही लागू होंगे न कि उसे उन्मोचित (discharge) किये जाने की दशा में, क्योंकि उन्मुक्ति के आदेश को निर्णय नहीं माना जा सकता तथा उन्मोचित अभियुक्त को पुनः आरोपित किया जा सकता है |

मोहिन्दरसिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार न तो अभियोजित किया जा सकता है और न सिद्धदोष। परन्तु यदि किसी अपराध के लिए पूर्व में उसका विचारण ही न हुआ हो, तो प्रस्तुत धारा 300 के उपबंध लागू नहीं होंगे। इस वाद में अभियुक्त को भां० दं० सं० की धारा 399 एवं 402 तथा टाडा (TADA) अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत अभियोजित किया गया था। उस पर आयुध अधिनियम (Arms Act) की धारा 25 एवं टाडा की धारा 5 का भी आरोप था जिसके लिए उसका पूर्व में अभियोजन नहीं किया गया था। अतः उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25 एवं टाडा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत अभियोजन चलाया जा सकता है क्योंकि इसके लिए इसका पूर्व में अभियोजन नहीं हुआ है, अतः धारा 300 के प्रावधान यहाँ लागू नहीं होंगे।

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

Paper No-II **Paper Name- CRPC** **Unit-3**

Q3 अभियोजन वापस लेना से सम्बंधित उपबंध क्या है? अपराधों का शमन और अभियोजन वापस लेना के मध्य अंतर बताये |

Ans **धारा 321 अभियोजन वापस लेना**- किसी मामले का भारसाधक कोई लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक निर्णय सुनाये जाने के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को या तो साधारणतः या उन अपराधों में से किसी एक या अधिक के बारे में, जिनके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है, न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकता है और ऐसे वापस लिए जाने पर

(क) यदि वह आरोप विरचित किए जाने के पहले किया जाता है तो अभियुक्त ऐसे अपराध या अपराधों के बारे में उन्मोचित कर दिया जाएगा :

(ख) यदि वह आरोप विरचित किए जाने के पश्चात् या जब इस संहिता द्वारा कोई आरोप अपेक्षित नहीं है, तब किया जाता है तो वह ऐसे अपराध या अपराधों के बारे में दोषमुक्त कर दिया जाएगा :

परन्तु जहाँ

(i) ऐसा अपराध किसी ऐसी बात से सम्बन्धित किसी विधि के विरुद्ध है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, अथवा

(ii) ऐसे अपराध का अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का 25) के अधीन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा किया गया है, अथवा

(iii) ऐसे अपराध में केन्द्रीय सरकार की किसी सम्पत्ति का दुर्विनियोग, नाश या नुकसान अन्तर्ग्रस्त है, अथवा

(iv) ऐसा अपराध केन्द्रीय सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है जब वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करना तात्पर्यित है,

और मामले का भारसाधक अभियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, तो वह जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे ऐसा करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है, अभियोजन को वापस लेने के लिए न्यायालय से उसकी सम्मति के लिए निवेदन नहीं करेगा तथा न्यायालय अपनी सम्मति देने के पूर्व अभियोजक को यह निर्देश देगा कि वह अभियोजन को वापस लेने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई अनुज्ञा उसके समक्ष पेश करे।

इस धारा में किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन वापस लिए जाने (प्रत्याहरण) की प्रक्रिया का उल्लेख है। इस धारा के उपबंधों के अनुसार किसी मामले में निर्णय सुनाए जाने के पूर्व लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति से किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन को वापस ले सकता है। इस प्रकार का अभियोजन यदि

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(i) आरोप विरचित किए जाने के पूर्व किया जाता है, तो अभियुक्त ऐसे अपराध या अपराधों के बारे में उन्मोचित कर दिया जाएगा,

(ii) यदि आरोप विरचित किए जाने के पश्चात् या इस संहिता के अधीन कोई आरोप अपेक्षित न होने पर अभियोजन वापस लेने हेतु आवेदन किया गया हो, तो उस दशा में अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया जाएगा | उल्लेखनीय है कि यह धारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन वापस लेने से संबंधित है न कि अभियोजन को वापस लेने में जहाँ अधीनस्थ न्यायालय ने अभियोजन वापस लिए जाने के संबंध में उचित कार्यवाही की हो, तो उक्त दशा में उच्चतम न्यायालय मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है |

यदि लोक अभियोजक को अभियोजन के मामले की सत्यता पर विश्वास न हो, तो यह उचित होगा कि वह न्यायालय की सम्मति से अभियोजन को वापस ले ले अथवा सरकार से मामले के लिए किसी अन्य लोक अभियोजक की नियुक्ति की प्रार्थना करे जो अभियोजन मामले की सफलता से संतुष्ट हो सके|

एस० के० शुक्ला बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 62 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिधारित किया कि केवल राज्य सरकार के चाहने मात्र के आधार पर लोक अभियोजक धारा 321 के अन्तर्गत अभियोजन वापस नहीं ले सकता है क्योंकि एक न्यायालयीन अधिकारी होने के नाते इस बारे में उसे वस्तुपरक दृष्टिकोण (objective approach) अपनाना चाहिये। इसी तरह लोक अभियोजक द्वारा धारा 321 के अधीन अभियोजन को वापिस लिये जाने हेतु आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय उसे यंत्रवत स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं है और यदि वह अनुभव करता है कि अभियोजन वापस लिया जाना न्यायोचित नहीं है, तो वह ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

शमन का अर्थ- उत्तर प्रदेश राज्य बनाम चन्द्र पाल सिंह के वाद में अपराध के शमन का अर्थ स्पष्ट करते हुए न्यायालय ने यह अभिमत प्रकट किया कि शमन वह सुभिन्न बन्दोबस्त है जिसके अधीन व्यथित व्यक्ति तथा उस व्यक्ति के मध्य जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, समझौता अन्तर्वलित (involved) होता है।

कोई अपराध शमनीय है अथवा नहीं, इस बात का निर्धारण इस धारा में उपबंधित बातों के सिवाय शमन हेतु दिये गये आवेदन के तथ्यों पर भी निर्भर करेगा 10 उच्चतम न्यायालय ने **शिवनंदन पासवान** बनाम बिहार राज्य के बाद में धारा 320 में वर्णित शमनीय अपराधों के स्वरूप तथा प्रकृति की विस्तृत व्याख्या करते हुए कहा है कि इस संबंध में न्यायालय को पर्यवेक्षकीय शक्ति प्राप्त है तथा अपराध के शमन के लिए। किसी भी चरण (stage) पर आवेदन किया जा सकता है |

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

नरेश चन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य12 के वाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के अधीन किया गया अपराध न्यायालय की अनुमति के बिना ही शमनीय है अतः ऐसे अपराध के शमन हेतु कोई भी लिखित आवेदन आवश्यक नहीं होगा।

शमन के लिए आवेदन - राजस्थान राज्य बनाम जसवंत सिंह के वाद में विनिश्चित किया गया कि यह आवश्यक नहीं है कि अपराध के शमन के लिए आवेदन परिवादी द्वारा ही दायर किया जाए। इस तरह का आवेदन अभियुक्त द्वारा भी दायर किया जा सकता है। किन्तु फिर भी जब तक न्यायालय अपराध के शमन की अनुमति नहीं देता, तब तक परिवादी द्वारा अपराध का शमन नहीं किया जा सकता है |

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW